रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012022-232456
CG-DL-E-06012022-232456

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 2022/पौष 15, 1943
No. 6] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 2022/PAUSHA 15, 1943

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2021

सं. इको–2/2021–केविविआ.–"वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की खरीद के लिए बोली प्रक्रिया से टैरिफ के अवधारण के लिए दिशानिर्देश" के संबंध में विद्युत मंत्रालय की (समय–समय पर यथासंशोधित) दिनांक 19.1.2005 की अधिसूचना के खंड 5.6 (vi) के अनुसरण में, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने दिनांक 27.10.2021 की अधिसूचना के माध्यम से भुगतान के उद्देश्य से घरेलू कोयले के लिए वृद्धि दर सहित विभिन्न वृद्धि दरों और अन्य मानकों को अधिसूचित किया था।

2. कोल इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 27.11.2020 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से दिनांक 01.12.2020 से कोयले की कीमतों में पुनरीक्षण किया है। इस पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप, केविविआ ने अपने कोयला मूल्य सूचकांक को दिसंबर, 2020 से पुनरीक्षित किया है और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया। तथापि, पुनरीक्षित कोयला मूल्य सूचकांक का उपयोग, 1.10.2021 से 31.3.2022 की अवधि के लिए लागू भुगतान के लिए घरेलू कोयले की वृद्धि दर की संगणना करते समय दिसंबर 2020 से अगस्त 2021 के स्थान पर सितंबर 2020 से अगस्त 2021 तक की अवधि के लिए किया गया है। इसलिए, घरेलू कोयले के लिए वृद्धि दर की संगणना करने में त्रुटि हुई थी।

3. आंकड़ों को सही करके, अर्थात् केविविआ की वेबसाइट पर प्रकाशित कोयला मूल्य सूचकांक का उपयोग करके (अर्थात दिसंबर, 2020 से पुनरीक्षित कोयला मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए), घरेलू कोयले की वृद्धि दर की संगणना की गई है। तदनुसार, निम्नलिखित संशोधन किया गया है।

4. दिनांक 27.10.2021 की अधिसूचना की तालिका के क्रमांक 1 पर वृद्धि दर को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अधीन किए गए विद्युत खरीद करार के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत की खरीद के लिए भुगतान के उद्देश्य से दिनांक 01.10.2021 से 31.03.2022 की अवधि के लिए लागू वार्षिक वृद्धि दरें:

क्र.सं.	विवरण	भुगतान के लिए वार्षिक वृद्धि दरें
1	घरेलू कोयले के लिए वृद्धि दर	0.92%

सनोज कुमार झा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./556/2021-22]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd December, 2021

No. Eco-2/2021-CERC.—In pursuance of Clause 5.6 (vi) of Ministry of Power Notification dated 19.1.2005 (as amended from time to time) on "Guidelines for Determination of Tariff by Bidding Process for Procurement of Power by Distribution Licensees", the Central Electricity Regulatory Commission, vide notification dated 27.10.2021, had notified various escalation rates and other parameters, including the escalation rate for domestic coal, for the purpose of payment.

2. Coal India Ltd, through its notification dated 27.11.2020, has revised coal prices w.e.f.1.12.2020. Consequent to this revision, the CERC has revised its Coal Price Index w.e.f. December, 2020 and published the same on its website. However, the revised coal price index has been used for the period from September 2020 to August 2021 in place of December 2020 to August 2021 while computing the escalation rate for domestic coal for payment applicable for the period from 1.10.2021 to 31.3.2022. Therefore, there was an error in computing the escalation rate for domestic coal.

3. By correcting the data i.e. by using the Coal Price Index as published on the website of CERC (i.e. considering the revised coal price index w.e.f. December, 2020), the escalation rate for domestic coal has been computed. Accordingly the following amendment is made.

4. The escalation rate at Sr.No.1 of Table of the notification dated 27.10.2021 is substituted as under:

Annual Escalation Rates applicable for the period from 01.10.2021 to 31.03.2022 for the purpose of payment for Procurement of Power by Distribution Licensees as per the Power Purchase Agreement entered into under the guidelines mentioned above:

Sl.No.	Description	Annual Escalation Rates for Payment
1	Escalation rate for domestic coal	0.92%

SANOJ KUMAR JHA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./556/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.06 19:20:15 +05'30'